"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (28).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-25/2011/वाक/पांच (25) दिनांक 31-03-2011 को 1 अप्रैल, 2011 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (28), दिनांक 15-04-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th April 2011

NOTIFICATION

No. F-10-25/2011/CT/V(28).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby rescinds the notification No. F-10-25/2011/CT/V (25) dated 31-03-2011, with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (29).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अनुसूची-2 के भाग-2 में अनुक्रमांक 10 के क्रमांक (ख) के सामने एवं अनुक्रमांक 40 के सामने कॉलम (3) में अंक "4" के स्थान अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (29), दिनांक 15-04-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम स तथा आदेशानु
अ सिंह, प्रमुख

Raipur, the 15th April 2011

NOTIFICATION

No. F-10-25/2011/CT/V(29).-- In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part-II of Schedule-II of the said Act

AMENDMENT

In column (3) against S. No. (5) of 10 and S. No. 40 in part-II of the Schedule-II for the figure "4" the figure "5" shall be substituted.

2. This notification shall effect from 15th April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.